

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक अनु.प्रथम/सी/2021/99

दिनांक 09.10.2021

संशोधित कार्यालय आदेश

(विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक अनु.प्रथम/सी/2021/97 दिनांक 09.10.2021 की निरन्तरता में)

कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत (डिप्लोमाधारी) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2020 के विरुद्ध बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत (डिप्लोमाधारी) के जारी किये गये परिणाम दिनांक 07.04.2021 के क्रम में बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(81)(1)RSSSB/अर्थना/कनि.अभि0/पात्रता जांच/2021/982 दिनांक 03.09.2021 की निरन्तरता में इस विभाग के आदेश क्रमांक अनु.प्रथम/सी/2021/93 दिनांक 05.10.2021 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत (डिप्लोमाधारी) के सीधी भर्ती के गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर श्रेणीवार अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम-1973 एवं संशोधन 2011, 2019 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख वर्णित वरीयता के आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेखित शर्तों के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत (डिप्लोमाधारी) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान करते हुए, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में निम्नानुसार किया जाता है :-

S. No.	Roll No.	M. No.	Cat.	Sel. Cat.	Name of Candidate	Father's Name	DOB	Place of Posting (Elect. Sub Dn.)	Report to EE (Elect. Dn.)
1	204206	1	GEN	GEN	Kuldeep Sharma	Bajrang Lal Sharma	06.07.97	Elect. Sub Dn. Dholpur	Elect. Dn. Bharatpur
2	205953	3	SC	GEN	Mahesh Verma	Prabhu Dayal Varma	08.09.97	Elect. Sub Dn. New Delhi	Elect. Dn. Alwar
3	203613	373	GEN	GEN (HI)	Manish Kumar Sharma	Murari Lal Sharma	15.08.95	Elect. Sub Dn. Alwar	Elect. Dn. Alwar


वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में इन्हें नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- (अक्षरे रू0 तेईस हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-10 में उल्लेखित न्यूनतम वेतन रू0 33800/- (अक्षरे रू0 तैंतीस हजार आठ सौ मात्र) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

उक्त आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा किये गये चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जारी किये जाते हैं।

37

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-


1. यह आदेश अलवर एवं धौलपुर जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने पर प्रभावी होगा तथा अभ्यर्थियों को आदेश के प्रभावी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर खण्ड कार्यालय में (कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष) पद का कार्यभार सम्भालना होगा । निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे ।
2. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है ।
3. उक्त कार्मिकों पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004, संशोधित आदेश दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य प्रवर्तनीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे ।
4. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुकमिक शासित होगी एवं इन पर समय-समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे ।
5. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।
6. कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक (सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर, जो अपरिवर्तनीय होगी), आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी मूल दस्तावेजों से सत्यापन कर स्व-सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर ली जावे ।
7. कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/फोटो युक्त परिचय पत्र/विवाह संबंधी प्रमाण-पत्र एवं सन्तात संबंधी शपथ-पत्र (कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा) निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करावे इसके साथ ही विवाह के समय दहेज नहीं लिये जाने संबंधी शपथ पत्र एवं धुम्रपान नहीं करने संबंध में शपथ पत्र तथा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे ।
8. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
9. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।


(संजीव माथुर)

मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज० जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर - 302018
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
3. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, मुख्य अभि. एवं अति. सचिव, सानिवि राज0 जयपुर ।
6. मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सानिवि, जयपुर/जोधपुर ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि विद्युत वृत्त -
10. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि विद्युत खण्ड -
11. सहायक अभियन्ता, सानिवि विद्युत उपखण्ड -
12. श्री
13. एसीपी (आई.टी.), सानिवि राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. तक. सहा. प्रथम/रक्षित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


(आरिफ मोहम्मद खान)

उप सचिव (कार्य)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर